का॰ज्ञा॰ सं॰ 11011/4/2005-रा॰भा॰(अनु॰), दिनांक 16.3.2005

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड 6 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अन्तर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खंड 6 में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें भी की हैं:

1. सिफारिश सं॰ 11.5.10: शब्दकोश, शब्दावली सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इन पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए।

आदेश: समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जरनल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लिखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है। राजभाषा विभाग समय-समय पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध करवाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा दिनांक 17.07.1992 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 20034/53/92- रा॰भा॰(अ॰वि॰) और दिनांक 19.4.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 11011/14/96 रा॰भा॰ (पत्रिका) तथा दिनांक 28.2.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 11014/2/2004-रा॰भा॰ (पत्रिका) द्वारा शब्दकोष शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य की खरीद तथा पुस्तकालयों के लिए आवंटित धन राशि में से 50 प्रतिशत राशि स्तरीय हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने के लिए अनुरोध किया गया था।

2. सिफारिश सं॰ 11.10.24-''क'' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

आदेश-''क□□ क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा ''क□□ और ''ख□□ क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को तथा राज्य संघ/राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्यक्रम 2003-2004 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार ''ख□□ क्षेत्र से ''क□□ और ''ख□□ क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को 90% पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित है। तद्नुसार ही ''क□□ क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। इसके कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाए।

3. सिफारिश सं॰ 11.10.33: विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के पत्र शीर्षों पर राजभाषा हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ''हमेशा हिंदी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएं, इस कार्यालय/उपक्रम में हिंदी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।'' आदि घोष वाक्य (स्लोगन) लिखवाए जाने को प्रोत्साहित किया जाए।

आदेश: समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। पत्र शीर्षों पर राजभाषा हिंदी में काम करने हेतु प्रेरणा देने वाले स्लोगन छपवाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं।

4. सिफारिश सं॰ 11.10.34: डाक तार की स्टेशनरी, लिफाफे, अंतर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्डों आदि पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में स्लोगन लिखवाए जाएं।

आदेश: ''राजभाषा हिंदी के संवर्धन, विकास एवं प्रसार हेतु समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। डाक विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।''

5. सिफारिश सं॰ 11.10.35: दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच-बीच में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी स्लोगन/छोटे-छोटे वृत्तचित्र आदि दिखाए जाए/प्रसारित किए जाएं। इनमें विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी प्रकट विचारों का उल्लेख भी किया जा सकता है।

आदेश: ''संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिफारिश के अनुरूप समुचित कार्रवाई करें।''

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई उपर्युक्त सभी सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से तद्नुसार राजभाषा विभाग को अवगत करवाया जाए।